संख्या-87/2022/2492/22-2-2021-17(958)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 23 जून, 2022*

विषय:- जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी चन्द्रभान पुत्र श्री बैजनाथ, निवासी जनपद-फतेहपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34293/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 09.09.2021, दिनांक 27.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी चन्द्रभान पुत्र श्री बैजनाथ, जो-उमरगहना, थाना-मलवां, जनपद-फतेहपुर का निवासी है। बंदी द्वारा पैसों के लालच के कारण दिनांक 02.06.2007 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जगरूप प्रजापती की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-469/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302, 201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-02, फतेहपुर के आदेश दिनांक 23.03.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.09.2020 तक 13 वर्ष, 03 माह, 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष, 02 माह, 15 दिन की सपरिहार भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर द्वारा बंदी के उग्र प्रवृत्ति का होने, उसके द्वारा कभी भी अपराध घटित करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने तथा पुन: अपराध किये जाने हेतु अशक्त न होने एवं बंदी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने के दृष्टिगत उसकी समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बंदी की उम्र 48 वर्ष तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक फतेहपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रभान (बन्दी संख्या-77/2011) पुत्र श्री बैजनाथ, निवासी जनपद-फतेहपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-87/2022/2492(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-फतेहपुर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहपुर ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।